न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/106

1. शमशुद्धीन पिसरान श्रीमती बदरूनिशा जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार कोटा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   1/1. महमूदी बेवा शमशुद्धीन ।
   1/2. जाकिर हुसैन आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/3. अब्दुल वाहिद आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/4. अनवर आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/5. अन्जुम पुत्री शमशुद्धीन ।
   1/6. तब्बसुम पुत्री शमशुद्धीन अकवाम जाति मुसलमान निवासी शनिदेव मंदिर के पास पुलिस चौकी के पीछे कसाई मोहल्ला घण्टाघर, कोटा ।
2. अब्दुल सत्तार पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार शीतला चोक, बृजराजपुरा 165, कोटा ।
3. मुश्ताक पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली 1 ल 12 सदभावना ब्लॉक विज्ञान नगर, कोटा ।
4. युसुफ पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी श्रीपुरा कोली पाडा इन्सपेक्टरी स्कूल के पास श्रीपुरा, कोटा ।
5. इकबाल पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार शीतला चोक, बृजराजपुरा 165, कोटा ।
6. बशीरन पुत्री बदरूनिशा पत्नी अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी लखारपाडा बृजराजपुरा उत्तर, कोटा ।
7. जेतून उर्फ जेबून पुत्री बदरूनिशा पत्नी मुजफ्फर जाति मुसलमान ई एस आई, हॉस्पीटल की पीछे अयप्पा मंदिर के पास, कोटा ।
8. मेहरान उर्फ मेहरून निशा पुत्री बदरूनिशा पत्नी अब्दुली जलील मुसलमान निवासी साजीदेहडा, कोटा ।
9. सलीमुद्धीन पुत्र खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी शंकर बेकरी के पीछे कोलीपाडा श्रीपुरा, कोटा ।
10. आबिद हुसेन पुत्र खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी सूरजपोल गेट के पास, कोटा ।
11. महमूदी पुत्री खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी बिसायती की मस्जिद के आगे मांगीलाल पंतग वाले के पास रामपुरा बाबरा पाडा, कोटा ।

बनाम

1. रामगोपाल आत्मज रामचन्द्र जी ।
2. ओमप्रकाश आत्मज रामचन्द्र जी ।

3. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज रामचन्द्र जी अकवाम जाति नायक निवासीगण ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामनारायणी बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री चौथमल जी जाति नायक निवासी ग्राम खडीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. कैलाश बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री रमेश जी जाति नायक निवासी ग्राम नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री जोधराज जी जाति नायक निवासी ग्राम डाबरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
7. बालचन्द आत्मज बजरंग लाल जी नायक निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कोटा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   8/1. अबदुल रशीद आत्मज अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
   8/2. इलियास आत्मज अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी 02 सी वक्फ होस्टल के पीछे दूध डेयरी के पास सरकारी स्कूल की गली चम्बल गार्डन के सामने, कोटा ।
   8/3. अनीसा पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
   8/4. नसीम बानो पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
   8/5. शमीम बानो पुत्री अब्दुल हकीम पत्नी रहीम उर्फ लाल जाति मुसलमान निवासी फूल बिहारी मंदिर के पास डपोला मस्जिद के सामने राधा बिलास पाटनपोल, कोटा ।
   8/6. परवीन निशा पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
   8/7. शबाना पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
   8/8. रशीदन पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
9. अब्दुल करीम आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
10. मोहम्मद सलीम आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
11. मोहम्मद सिद्धिकी आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
12. मोहम्मद जमील आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
13. करीमन पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी अब्दुल बहाव मुसलमान (मृतक) जरिये वारिसान :–
   13/1. अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।

13/2. अब्दुल हमीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।

13/3. अब्दुल रशीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।

13/4. मोहम्मद इदरीस आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।

13/5. मोहम्मद फारूख आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी छावनी मेन रोड कापरेन किराना स्टोर के पास छावनी, कोटा ।

13/6. मोहम्मद शफी पुत्री करीमन पिता अब्दुल बहाव मुसलमान (मृतक) जरिये वारिसान :–

13/6/1. नजमा पत्नी मोहम्मद शफी मुसलमान नारायण पान वाले की गली चाद चक्की के पास मोमीनो की मस्जिद बजाजखाना, रामपुरा कोटा ।

14. जुबेदा पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी बाबूखॉ जाति मुसलमान निवासी कालेशाह बाबा की दरगाह छोटी मस्जिद के पास वाली गली इदगाह के पास किशोरपुरा, कोटा ।

15. श्रीमती रामकन्या विधवा पत्नी रामचन्द्र जाति नायक निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

16. श्राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सयैद तनवीर अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 23.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट मृतक अब्दुल मलिक, श्रीमती खातून एवं श्रीमती बदरूनिशा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 180 एवं 183 के अन्तर्गत वाद ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 289 की रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि बादुल्ला पुत्र मौला बक्श मुसलमान के खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण का हक

अधिकार है । अतः वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे और यह भी घोषणा की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम जो इंद्राज है वह प्रभावशून्य होने से खारिज किया जावे । वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दिये जाने का आदेश भी पारित किया जावे ।

3. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.1993 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.03.1993 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनाक 13.05.1994 के द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.1994 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.1999 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.05.1994 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2014 के द्वारा वादी क्रम 1/1 से 1/5, 1/7 एवं 2/1 से 2/8 के अभिभाषक द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया ।

7. तत्पश्चात् दिनांक 13.02.2014 को वादी क्रम 1/6 के कायममुकामान की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दावा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2014 के द्वारा दावा वादी (as withdrawn) खारिज किया है ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय 13.02.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादी क्रम 01 ने ही वादी क्रम 2 व 3 की ओर से अपनी आरे से वकील नियुक्त किया था और वही वकील साहब से सम्पर्क में रहते थे । हम अपीलान्ट बादिनी बदरूनिशा के वारिस एवं खातून के वारिस से कह दिया था कि जब बयान होंगे तब हम सूचना दे देंगे परन्तु वादी क्रम 01 के कायममुकामान व 1/6 ने अपीलान्ट को कोई सूचना

नहीं दी एवं अपीलान्ट वादीगण कम 2/1 से 2/8 के वकील साहब ने हमे सूचना दिये बिना ही दिनांक 19.08.2013 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.01.2016 को अन्य प्रकरण के मामले में न्यायालय में आये तब हुई जिस पर जानकारी मालूमात कर दिनांक 19.01. 2016 को नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.08.2013 को अपीलान्ट वादीगण कम 2/1 से 2/8 के अभिभाषक ने उनको सूचना दिये बिना नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया और वादी कम 1/6 के कायममुकाम की ओर से पेश किये गये दावा विड्रो करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा as withdrawn खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। समस्त वादीगण के हस्ताक्षर पर ही दावा विड्रॉ किया जा सकता है । अपीलान्ट बादुल्ला की लडकी बंदरूनिशा एवं खातून के वारिस हैं जिनका विधिक हक वादग्रस्त आराजी में निहित है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । यदि अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण को सूचना दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई है । दावा विड्रॉ करने में वादिनी के वारिसान की कोई सहमति नहीं दी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 1331, आरआरटी 2017 (2) पेज 1104 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 19.08.2013 को वादीगण कम 1/1 से 1/5, 1/7 व 2/1 से 2/8 के अभिभाषक ने नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड किया था । इसके उपरान्त दिनांक 13.02.2014 को वादी कम 1/6 के कायममुकामान की ओर से दावा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी (as withdrawn) खारिज किया है । अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.08.2013 को अपीलान्टगण कम 1 लगायत 08 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी कम 2/1 से 2/8 हैं, के अभिभाषक के द्वारा एवं वादी कम 1/1 से 1/5 एवं 1/7 के अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 13.02.2014 को वादी कम 1/6 के कायम मुकाम की ओर से दावा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको स्वीकार करते हुए दावा (as withdrawn) खारिज किया गया है । अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील

यह कथन करते हुए पेश की है कि उनके अभिभाषक ने बिना उनको सूचित किये नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है और न्यायालय के द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई । इस क्रम में यदि अपीलान्टगण के अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया है तो ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए दावा आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के तहत अदम हाजरी में खारिज माना जावेगा । वादीगण को यदि इस आदेश से आपत्ति है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है और दिनांक 13.02.2014 को दावा वादी वादी क्रम 1/6 के कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र पर (as withdrawn) खारिज किया गया है । यदि अपीलान्टगण दावे को चलाना चाहते थे तो उन्हें अधीनस्थ न्याालय में इस बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टगण ने सन् 2014 में पारित आदेश की अपील सन् 2016 में लगभग 02 वर्ष के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब का समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया है क्योंकि वादीगण ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था और यदि दिनांक 19.08.2013 को उनके अभिभाषक के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया था तो दिनांक 19.08.2013 से लेकर दिनांक 18.01.2016 तक उनके द्वारा न्यायालय में अथवा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दावे की जानकारी नहीं ली गई यह उचित प्रतीत नहीं होता है । इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में विलम्ब का शमन किया जाना भी हम उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

16. निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16 / 106

1. शमशुद्धीन पिसरान श्रीमती बदरूनिशा जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार कोटा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   1/1. महमूदी बेवा शमशुद्धीन ।
   1/2. जाकिर हुसैन आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/3. अब्दुल वाहिद आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/4. अनवर आत्मज शमशुद्धीन ।
   1/5. अन्जुम पुत्री शमशुद्धीन ।
   1/6. तब्बसुम पुत्री शमशुद्धीन अकवाम जाति मुसलमान निवासी शनिदेव मंदिर के पास पुलिस चौकी के पीछे कसाई मोहल्ला घण्टाघर, कोटा ।
2. अब्दुल सत्तार पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार शीतला चोक, बृजराजपुरा 165, कोटा ।
3. मुश्ताक पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली 1 ल 12 सदभावना ब्लॉक विज्ञान नगर, कोटा ।
4. युसुफ पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी श्रीपुरा कोली पाडा इन्सपेक्टरी स्कूल के पास श्रीपुरा, कोटा ।
5. इकबाल पुत्र बदरूनिशा पिता अब्बास अली जाति मुसलमान निवासी चौथमाता बाजार शीतला चोक, बृजराजपुरा 165, कोटा ।
6. बशीरन पुत्री बदरूनिशा पत्नी अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी लखारपाडा बृजराजपुरा उत्तर, कोटा ।
7. जेतून उर्फ जेबून पुत्री बदरूनिशा पत्नी मुजफ्फर जाति मुसलमान ई एस आई, हॉस्पीटल की पीछे अयप्पा मंदिर के पास, कोटा ।
8. मेहरान उर्फ मेहरून निशा पुत्री बदरूनिशा पत्नी अब्दुली जलील मुसलमान निवासी साजीदेहडा, कोटा ।
9. सलीमुद्धीन पुत्र खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी शंकर बेकरी के पीछे कोलीपाडा श्रीपुरा, कोटा ।
10. आबिद हुसेन पुत्र खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी सूरजपोल गेट के पास, कोटा ।
11. महमूदी पुत्री खातून बाई पिता अलीमुद्धीन जाति मुसलमान निवासी बिसायती की मस्जिद के आगे मांगीलाल पतंग वाले के पास रामपुरा बाबरा पाडा, कोटा ।

—–अपीलार्थी

बनाम

1. रामगोपाल आत्मज रामचन्द्र जी ।
2. ओमप्रकाश आत्मज रामचन्द्र जी ।
3. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज रामचन्द्र जी अकवाम जाति नायक निवासीगण ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामनारायणी बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री चौथमल जी जाति नायक निवासी ग्राम खडीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. कैलाश बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री रमेश जी जाति नायक निवासी ग्राम नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री जोधराज जी जाति नायक निवासी ग्राम डाबरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
7. बालचन्द आत्मज बजरंग लाल जी नायक निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कोटा (मृतक) जरिये वारिसान :–

    8/1. अबदुल रशीद आत्मज अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

    8/2. इलियास आत्मज अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी 02 सी वक्फ होस्टल के पीछे दूध डेयरी के पास सरकारी स्कूल की गली चम्बल गार्डन के सामने, कोटा ।

    8/3. अनीसा पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

    8/4. नसीम बानो पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

    8/5. शमीम बानो पुत्री अब्दुल हकीम पत्नी रहीम उर्फ लाल जाति मुसलमान निवासी फूल बिहारी मंदिर के पास डपोला मस्जिद के सामने राधा बिलास पाटनपोल, कोटा ।

    8/6. परवीन निशा पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

    8/7. शबाना पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

    8/8. रशीदन पुत्री अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

9. अब्दुल करीम आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
10. मोहम्मद सलीम आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
11. मोहम्मद सिद्धिकी आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।

12. मोहम्मद जमील आत्मज श्री अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी कबाडियों की मस्जिद के पास मच्छी मार्केट श्रीपुरा, कोटा ।
13. करीमन पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी अब्दुल बहाव मुसलमान (मृतक) जरिये वारिसान :–
    13/1. अब्दुल वहीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।
    13/2. अब्दुल हमीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।
    13/3. अब्दुल रशीद आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।
    13/4. मोहम्मद इदरीस आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली चांद चक्की के पास मोमिनो की मस्जिद के पास बजाज खाना रामपुरा, कोटा ।
    13/5. मोहम्मद फारूख आत्मज अब्दुल बहाव जाति मुसलमान निवासी छावनी मेन रोड कापरेन किराना स्टोर के पास छावनी, कोटा ।
    13/6. मोहम्मद शफी पुत्री करीमन पिता अब्दुल बहाव मुसलमान (मृतक) जरिये वारिसान :–
    13/6/1. नजमा पत्नी मोहम्मद शफी मुसलमान नारायण पान वाले की गली चाद चक्की के पास मोमीनो की मस्जिद बजाजखाना, रामपुरा कोटा ।
14. जुबेदा पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी बाबूखॉ जाति मुसलमान निवासी कालेशाह बाबा की दरगाह छोटी मस्जिद के पास वाली गली इदगाह के पास किशोरपुरा, कोटा ।
15. श्रीमती रामकन्या विधवा पत्नी रामचन्द्र जाति नायक निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. श्राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 671/दावा/2001

1. अब्दुल मलिक आत्मज बादुल्ला (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    1/1. अब्दुल हकीम
    1/2. अब्दुल करीम
    1/3. मोहम्मद सलीम

1/4. मोहम्मद सिद्धिकी
1/5. मोहम्मद जमील पिसरान स्व0 अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासीगण कोटा ।
1/6. करीमन पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी अब्दुल बहाव मुसलमान ।
1/7. जुबेदा पुत्री अब्दुल मलिक पत्नी बाबूभाई जाति मुसलमान निवासी, कोटा ।

2. श्रीमती बदरूनिशा धर्मपत्नी अब्बास अली (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
2/1. शमशुद्धीन अंसारी ।
2/2. अब्दुल सत्तार
2/3. मुश्ताक
2/4. युसुफ
2/5. इकबाल पिसरान श्रीमती बदरूनिशा
2/6 बशीरन
2/7. जैतून
2/8. मेहरान पुत्रयॉ श्रीमती बदरूनिशा पिसरान अब्बास अली जाति मुसलमान निवासीगण चौथमाता बाजार, कोटा ।

--वादी

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज श्री बजरंग लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
1/1. श्रीमती रामकन्या बाई विधवा पत्नी रामचन्द्र जी ।
1/2. रामगोपाल आत्मज श्री रामचन्द्र ।
1/3. ओमप्रकाश आत्मज श्री रामचन्द्र ।
1/4. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति नायक निवासीगण ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
1/5. रामनारायणी बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री चौथमल जाति नायक ग्राम खडीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
1/6. कैलाश बाई पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी श्री रमेश जी जाति नायक निवासी ग्राम नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
1/7. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी जोधराज जाति नायक निवासी ग्राम डाबरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. बालचन्द्र आत्मज श्री बजरंग लाल जाति नायक निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री सयैद तनवीर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा